2020/00120

प्र.सं. 6/2020 लक्ष्मणनाथ व अन्य बनाम तहसीलदार गढ़ी

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता कालिया पिता गौतम जोगी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 1195/2 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा ग्राम खेरन का पाडला, तहसील गढ़ी में स्थित है, जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा राज्य सरकार में लगान अदा करते हैं। सेटलमेन्ट के दौरान उक्त सर्वे नंबर 1195/2 के नये नंबर 3089/2039 रकबा 0.75 हैक्टर व 2040 रकबा 0.02 हैक्टर बनाये, किन्तु जहां पुराने सर्वे नंबर 1195/2 आती है वहां नये नंबर 3089/2039 रकबा 0.75 हैक्टर व 2040 रकबा 0.02 हैक्टर नक्शा ट्रेस में नहीं आती है। पुराने नक्शे के अनुसार सर्वे नंबर 1195/2 की मौके की स्थिति अनुसार नक्शे में बताये गये वर्तमान सर्वे नंबर 2039 रकबा 1.02 हैक्टर की भूमि आती है, जो वर्तमान में श्री सरकार दर्ज है। इस प्रकार सेटलमेन्ट के दौरान गलत पैमूदगी कर दी गयी है। अतः वादीगण के पुराने सर्वे नंबर 1195/2 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा के फर्द तुलनात्मक अनुसार बनाये गये नये नंबर 3089/2039 रकबा 0.75 हैक्टर व 2040 रकबा 0.02 हैक्टर को निरस्त कर सर्वे नंबर 2039 रकबा 1.02 हैक्टर में से 4 बीघा 16 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.02.2020 से वादीगण खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21.08.2020 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने नकल हेतु दिनांक 16.03.2020 को आवेदन पेश किया, किन्तु कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन होने से नकल उपलब्ध नहीं हो सकी। अभी दिनांक 13.08.2020 को नकल प्राप्त होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद [illegible] की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया [illegible] हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन [illegible] एवं पत्रावली का अवलोकन किया। कोविड [illegible] लॉकडाउन एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत [illegible] में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:26 IST
Reason: SelfAttested

उप-प्रमुख अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट/वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श 1 से 6 तक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने वाद को साबित कराया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उनका अवलोकन किये बिना तथा तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 25.08.2018 का अवलोकन किये बिना मनमाने ढंग से निर्णय पारित कर अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने 5 तनकियां कायम की, किन्तु तनकीवार विवेचन नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार गढ़ी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 25.04.2018 के बिन्दु संख्या 8 में तहसीलदार से स्पष्ट अंकित किया है कि खसरा नंबर 2039 रकबा 1.02 हैक्टर जो श्री सरकार दर्ज है, उस पर कब्जा वादीगण व उसके पिता का रहा है तथा कलम संख्या 12 में सर्वे नंबर 3089/2039 रकबा 0.75 हैक्टर व 2040 रकबा 0.02 हैक्टर कुल रकबा 0.77 हैक्टर भूमि का गलत इन्द्राज हो जाने एवं सर्वे नंबर 2039 रकबा 1.02 हैक्टर में वादीगण का 0.76 हैक्टर पर कब्जा होना एवं वहां नक्शा शुद्धि किये जाने को उचित बताया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट पर कोई गौर नहीं किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 112/2016 निर्णय व डिकी दिनांक 25.02.2020 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में मौके पर कब्जे बाबत् तहसीलदार गढ़ी से पुनः रिपोर्ट तलब कर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.04.2024 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:26 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
एवं पदेन अपील अधिकारी
उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner